द्वारा फैक्स/ई-मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद -1

सख्याःपॉच-2500(संयुक्त वरिष्ठता) 2015 दिनांकःदिसम्बर 24 2015

सेवामें,

1-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

विषयः उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस एंव सशस्त्र पुलिस के आरक्षियों की भर्ती की तिथि को वर्ष(बैच) मानते हुये दिनांक 31-12-1985 तक के भर्ती कर्मियों की वर्षवार (बैचबार) अनन्तिम सूची।

कृपया उपरोक्त सन्दर्भ में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः पॉच-2500(संयुक्त वरिष्ठता) 2015 दिनॉकः 21-11-2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या:2431/6-पु0-1-15-43/2014 दिनांक 30.10.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार नागरिक पुलिस एवं सशस्त्र पुलिस के आरक्षियों की भर्ती की तिथि को "वर्ष(बैच)" मानते हुये दिनांक 31-12-1985 तक के भर्ती कर्मियों की वर्षवार (बैचबार) सूची परिचालित करते हुये सम्बन्धित आरक्षियों से दिनॉकः 02-12-2015 तक प्रत्यावेदन/आपत्तियॉ मॉगी गयी थी। साथ ही सम्बन्धित आरक्षियों को सूचित करने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/आपत्तियों को उपलब्ध कराने एवं डाटा में त्रुटि होने तथा किसी आरक्षी का नाम छूटे होने की दशा में दिनॉकः 5-12-2015 तक उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, किन्तु सूचनाये प्राप्त न होने के कारण पुलिस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 9.12.2015 द्वारा दिनांक 12.12.2015 तक उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिन जनपदों/इकाईयों से संशोधित सूचनायें प्राप्त हुयी है, उनका समावेश करते हुये उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2015 के नियम-22 में स्थापित व्यवस्था के अनुसार वर्षवार (बैचवार) अनन्तिम सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की गयी हैः-

(1) भर्ती के दिनॉक के वर्ष को "वर्ष(बैच)" माना जायेगा।
(2) पूर्ववर्ती "वर्ष(बैच)" में नियुक्त आरक्षी पश्चात्वर्ती "वर्ष(बैच)" में नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ होगें।
(3) वर्षवार (बैचवार) तैयार की गयी सूची में अंकित आरक्षियों के नामों के कम से किसी प्रकार की ज्येष्ठता अवधारित नहीं की जायेगी
(4) सूची जोनवार/परिक्षेत्रवार/जनपद/इकाई एंव पीएनओ के कम से तैयार की गयी है।
(5) मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी ना0पु0/स0पु0 मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी)एल0आई0यू0 का मौलिक पद आरक्षी होने के कारण इनका नाम भी इसी में सम्मिलित किया गया है ।
(6) यह सूची उत्तर प्रदेश पुलिस नामिनल रोल डाटावेस प्रणाली में उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार की गयी है ।

3— उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस एवं सशस्त्र पुलिस के दिनांक 31—12—1985 तक के भर्ती आरक्षियों की वर्षवार (बैचबार) अनन्तिम सूची उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in** पर प्रदर्शित की गयी है तथा **सर्वसम्बन्धित को E-Mail से भेजी जा रही है। अनन्तिम सूची में कुल—13013 आरक्षियों के नाम अंकित हैं।** कृपया उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित **अनन्तिम सूची को डाउन लोड कर** सम्बन्धित आरक्षियों के डाटा का अभिलेखों से मिलान करा लिया जाये।

4— इस सूची को पुलिस लाइन/थानों/कार्यालय/अन्य सम्बन्धित स्थानों पर प्रचार—प्रसार करने हेतु सूचना—पट् पर चस्पा करा दिया जाय तथा सम्बन्धित आरक्षियों को सूचित कराते हुये उन्हें आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दिनॉक 31—12—2015 तक अवसर दिया जाये। सूची में अंकित यदि कोई आरक्षी प्रतिनियुक्ति पर है तो उसे सूचित करने की जिम्मेदारी उसके गहन जनपद/इकाई की होगी। यदि कोई आरक्षी अवकाश अथवा किसी भी अन्य कारण से जनपद/इकाई में उपलब्ध न हो तो उन्हें दूरभाष एवं पंजीकृत पत्र द्वारा इस सूची के प्रकाशन से अवगत कराया जाय। सम्बन्धित आरक्षियों के सूचित किये जाने सम्बन्धी अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रख लिये जाये। यदि किसी आरक्षी द्वारा दिनॉक 31—12—2015 तक प्रत्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो उनके प्रत्यावेदन में अंकित आपत्तियों का परीक्षण उसके सेवा अभिलेख से कराकर उसका निराकरण कराते हुये आख्या मय अभिलेख के **दिनॉकः 01—01—2016 तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया जाये।**

5— उल्लेखनीय है कि पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 द्वारा आरक्षी से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करायी जानी अपेक्षित है। उक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि कृपया अनन्तिम सूची में अंकित कर्मियों के डाटा का मिलान अभिलेखों से करा लिया जाय। यदि उक्त सूची में किसी आरक्षी के डाटा में कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा किसी आरक्षी का नाम छूट जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी, जिसका डाटा संशोधित किया गया हो अथवा नाम छूट जाने की दशा में किसी आरक्षी का नाम जोड़ा जाये तो ऐसे **समस्त संशोधित एवं जोड़े गये आरक्षियों की सूची** निर्धारित कालम में उसका पूर्ण विवरण अंकित करते हुये पुलिस मुख्यालय के Email ID. promo.ctohccpphq5@gmail.com पर **विलम्बतम् दिनॉकः 31—12—2015 तक** उपलब्ध कराया जाये। साथ ही इस आशय का **प्रमाण—पत्र** भी उपलब्ध कराया जाय कि **"प्रकाशित अनन्तिम सूची में आपके जनपद/इकाई में दिनॉक 31—12—1985 तक के भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस एवं सशस्त्र पुलिस का नाम छूटा नहीं है।"**

6— कृपया निम्नलिखित विन्दुओ पर व्यक्तिगत रूप से आपका ध्यान अपेक्षित हैः—

1— यदि सूची में आपके जनपद/इकाई में तैनात दिखाया जा रहा कोई कर्मी वास्तव में वहॉ तैनात नही है तो उसका नाम हटाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह कर्मी वर्तमान में कहॉ तैनात है और इसके सत्यापन के पश्चात ही उसका नाम हटाया जाय तथा नवनियुक्त स्थान की सूचना अवश्य दी जाय ।

2— उपरोक्त सूची में आपके जनपद में तैनात दिखाया जा रहा कोई कर्मी मृत, बर्खास्त या सेवा निवृत्त हो गया हो इसकी सूचना अवश्य दी जाय ।

3– उपरोक्त सूची में यदि कोई कर्मी निलम्बित चल रहा हो तो उसकी सूचना भी अवश्य दी जाय ।

4– यह सुनिश्चित कर लें कि कही आपके जनपद/इकाई में तैनात मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी) को मुख्य आरक्षी के रूप में तो नही दर्शाया जा रहा है । यदि ऐसा हो तो ऐसे मुख्य आरक्षी (विशेष श्रेणी) का नाम उपरोक्त सूची में सम्मिलित करने हेतु पुलिस मुख्यालय को सूचना Excel फाइल में ई–मेल से भेजते हुये उ0प्र0 पुलिस नामिनल रोल डाटावेस प्रणाली में भी संशोधित करा दी जाय ।

5– यदि कोई बर्खास्त कर्मी हाल ही में बहाल हुआ हो और इस सूची में आने की पात्रता रखता हो तो उसका नाम इस सूची में सम्मिलित करवा दिया जाय तथा उ0प्र0 पुलिस नामिनल रोल डाटावेस प्रणाली में भी इसकी प्रविष्टि की जाय ।

6– आपके जनपद इकाई से प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान किये कर्मियो का नाम उपरोक्त सूची सम्मिलित होने से छूटा न हो । प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान किये कर्मियो के नामों को सम्मिलित कराने की जिम्मेदारी उनके गहन जनपद की होगी ।

7– सूची में जिन कर्मियों के कालम को अथवा उनके नाम को पीला कलर दिया गया है, उन्हें विशेष तौर पर चेक करा लिया जाये तथा अपेक्षित संशोधन नियत तिथि से पूर्व अवश्य करा लिया जाये

7– उपरोक्तनुसार नियत तिथि 01–01–2016 तक यदि किसी जनपद/इकाई से कोई संशोधन प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित जनपद/इकाई के डाटा में किसी प्रकार का कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है तथा सूचनायें सही मानते हुये बैचवार अन्तिम सूची जारी कर दी जायेगी। यदि भविष्य में इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/इकाई की होगी।

8– अतः अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समयसीमा के अन्दर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

24/12

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।

2– पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रषित है कि कृपया अपने स्तर से सर्वसम्बन्धित को अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समुचित निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिसउपमहानिरीक्षक,एन0आई0ए0,1/131विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।

2– निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।